न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 14.09.2021

अपील संख्या 2021/114

उनवान

देवकरण आयु 57 वर्ष पुत्र श्री देव्या, जाति धाकड, निवासी इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1— रूपनारायण पुत्र मदनलाल, जाति धाकड
2— दुर्गाशंकर पुत्र जगन्नाथ, जाति धाकड
3— परमानन्द पुत्र रामगोपाल, जाति धाकड
निवासीगण इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित — श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

दिनांक : 19.06.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 31.03.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा, तहसील बारां की आराजी जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या नया 146 पुराना 130 की आराजी खसरा नं. 597 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 599 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 600 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 601 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नं. 602 रकबा 0.06 हेक्टर, कुल 5 किता कुल रकबा 0.26 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2021 से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.03.2021 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम इकलेरा पटवार हल्का इकलेरा, तहसील बारां की आराजी कुल 5 किता कुल रकबा 0.26 हेक्टर में से खसरा नं. 601 रकबा 0.08 हेक्टर को ही विवादित दर्ज किया गया है उक्त खसरा नं अपीलांट का संयुक्त खातेदारी का है जो बाहमी बंटवारे के अनुसार उसे हिस्से में प्राप्त हुआ है। जिस पर रेस्पोडेंट जबरन निर्माण करने पर आमादा हुए तो प्रार्थी द्वारा एक वाद एवं प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2019 को इन्ट्रीम स्टे किया गया किन्तु दिनांक 31.03.2021 को विधिवत दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद निस्तारित किया गया है जिसमें अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त किया गया कि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की किस्म खेडा है जो कि आबादी क्षेत्र से संबंधित है तथा पूर्व में भी इन्हीं आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझते हैं। जबकि वादपत्र कमांक 126/2018 वर्तमान में जैरकार है जिसमें सबूत वादी की स्टेज पर है तथा आगामी तारीख पेशी 20.09.2021 नियत है इस प्रकार का आदेश मूल वाद में ही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत राय/धारणा बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से विधि संगत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.03.2021 निरस्त किया जाकर ग्राम इकलेरा की आराजी खसरा नं. 601 रकबा 0.08 हेक्टर में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ताफैसला वाद रेस्पोडेंटगण/अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें न किसी प्रकार की मौके की स्थिति में परिवर्तन करें यथास्थिति बनाये रखे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कोविड 19 के लाकडाउन के बाद न्यायालय खुलने पर दिनांक 23.07.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट खातेदार हूं, इसलिए अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा मिलनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 के तहत् बेदखली का दावा पेश किया था, यदि विवादित आराजी में निर्माण कार्य हो जायेगा तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक हमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म खेडा है। आबादी बसी हुयी है। कृषि भूमि भी नहीं है। आबादी होने से क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। पूर्व में भी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पेश किया गया था जिसे वापस ले लिया। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसका बंटवारा नहीं होने से समस्त खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। शामलाती भूमि में सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना त्रुटिपूर्ण है।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी की किस्म खेडा आबादी क्षेत्र से संबंधित होना प्रकट होता है। हमारी राय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी का आबादी भूमि के रूप में उपयोग होना प्रकट होता है जिसका किसी भी पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। आबादी भूमि के संबंध में श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होता है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तत्व स्वयं के पक्ष में सिद्ध नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है। अपील के तथ्यो को भी अपीलांट द्वारा सिद्ध नहीं किये जाने के कारण हम अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा